कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर

जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र0 सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 सरकार का स्थायी विभाग है। जिसका मुख्य कार्य जिले के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा संचालित विद्यालय ग्रामों तथा शहरों में स्थित है। ऐसे ग्राम जहां विभाग द्वारा शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। वहां पर शिक्षा की व्यवस्था बनाने के लिये व्यक्तिगत संस्थाओं को विद्यालय संचालन की अनुमति (मान्यता प्राप्त विद्यालयों के रूप में) दी जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये सुविधाये जैसे छात्रवृत्ति तथा परिषदीय स्कूलों में छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा मिड–डे–मील की सुविधा अपने विभाग तथा अन्य विभागों के माध्यम से प्रदान करायी जाती है।
2	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	इस विभाग में जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास क्षेत्र स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं नगर शिक्षा अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों का यथोचित स्थिति में पालन किया जाता है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	बेसिक शिक्षा विभाग तथा शासन स्तर से प्रेषित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिसमें राज्य स्तर से प्रेषित निर्देशों को जनपद की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागु करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निर्देश जारी किये जाते है। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु समय–समय पर अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाता है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान।	विभाग द्वारा प्रेषित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माह में निर्धारित संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है तथा ऐसा ही निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी निर्धारित संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

5	अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम,निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।ऐसे निर्देश तथा निर्देशों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में हैं	शासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों को सम्बन्धित कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है ऐसे दस्तावेजों में सरकार द्वारा प्रेषित निर्देश, नियम पुस्तिका तथा जनपद में संचालित कार्यक्रमों की प्रगति सम्मिलित है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	विभाग में संचालित होने वाले अनेक कार्यक्रमों के जनपद में संचालन हेतु नीति शासन द्वारा गठित समितियों द्वारा बनाई जाती है। ऐसी समितियों में अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ लोक सदस्य एवं जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। जिनके परामर्श एवं अभ्यावेदन के अनुसार कार्य किया जाता है।
8	बोर्ड,परिषदों,समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है	बेसिक शिक्षा द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की समितियां गठित है जिनमें जनपद के परिषद, बोर्ड तथा निकायों के सदस्य भी सम्मिलित होते है। जिनके परामर्श के अनुसार कार्य किया जाता है।
9	अपने अधिकरियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारियों के उत्तरदायित्व एवं अधिकारों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश बनाये गये हैं। जिनके अधीन रहते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जाता है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक, वेतनादि ही कर्मचारियों को नियमानुसार कार्य करने पर दिया जाता है।
11	सभी योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।	बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यक्रम संचालित करने के लिए अलग अलग मदों में बजट हेतु धनराशि का आबंटन सरकार द्वारा किया जाता है।इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतित योजनाओं से भी बजट प्राप्त होता है,जिसका उपभोग सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्बन्धित है	जनपद में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों का संचालन विभिन्न स्तर पर गठित समितियों के परामर्श से कराया जाता है तथा समितियों के परामर्श पर ही आबंटन बजट का उपभोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जाता है।

13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियां	विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रियायती पत्र/अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जाता है।
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित सर्व शिक्षा अभियान योजना की समस्त कार्यक्रमों की सूचना इलैक्ट्रानिक रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपायों के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है	सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु जन सामान्य के लिये कार्यालय में अलग से सुविधा दी गयी है जिसके तहत एक अधिकारी को इसी कार्य के सम्पादन हेतु उत्तरदायित्व दिये गये है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम और अन्य विशिष्टियां	जन सूचना अधिकारी का नाम– श्रीमति सुकंजबाला अग्रवाल प्रभारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (प्रथम)/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नजीबाबाद विकास क्षेत्र स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी–जन सूचना अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर